

राजस्थान सरकार

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

:- आदेश :-

क्रि. नं. 13/17

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सन्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पिपराडी	75, 77 ई 126	रमाकान्त शर्मा	राजू शर्मा

(  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक:- 21/6/17

क्रमांक:- 176

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

(  
पीठासीन अधिकारी